

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना कन्धरापुर

गैंग्स्टर एक्ट में वांछित एक अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना-

दिनांक-03.05.2023 को आवेदक श्री राजेश यादव पुत्र श्री रामरूप यादव सा0 आजमपुर थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ के द्वारा दिनांक 2/3.5.2023 की रात्रि लगभग 1-1/2 से 2.00 बजे वादी की भैंस स्कार्पियों मे लादकर चोरी से ले जाने के सम्बन्ध में मु0अ0स0-101/2023 धारा 379 भादवि बनाम 1.सलीम पुत्र स्व0 अकरम सा0 देवापार थाना जीयनपुर आजमगढ़ 2. तीन व्यक्ति नाम पता अज्ञात पंजीकृत कराया गया। बरामदगी व साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियोग मे विवेचक द्वारा धारा 411/420 /467/468/471 भादवि की बढोत्तरी की गई, तथा अभियोग मे अभि0 1. टेनी उर्फ सरताज पुत्र गुड्डू उर्फ आबिद 2.गोरख उर्फ बुल्ला गोरख उर्फ बुल्ला पुत्र बीरा 3.महताब उर्फ शिबू पुत्र स्व0 मुख्तार निवासीगण कस्बा जीयनपुर थाना जीयनपुर आजमगढ़ का नाम प्रकाश मे आया तथा सभी के विरुद्ध जुर्म धारा-379/411/420/467/468/471 भादवि में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

➡उपरोक्त गैंग के कृत्यों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु प्रभारी निरीक्षक थाना कन्धरापुर की रिपोर्ट पर जिलाधिकारी आजमगढ़ महोदय द्वारा दिनांक 13.04.2024 को गैंग चार्ट अनुमोदित किया गया।

➡जिसके क्रम में दिनांक 30.05.2024 को प्र0नि0 कन्धरापुर श्री सुदेश कुमार सिंह की तहरीर पर गैंगलीडर 1. सलीम पुत्र स्व0 अकरम सा0 देवापार थाना जीयनपुर आजमगढ़ व सदस्यों 2. टेनी उर्फ सरताज पुत्र गुड्डू उर्फ आबिद निवासी ग्राम कस्बा जीयनपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ 3. गोरख उर्फ बुल्ला पुत्र बीरा निवासी कस्बा जीयनपुर थाना जीयनपुर आजमगढ़ 4. महताब उर्फ शिबू पुत्र स्व0 मुख्तार निवासीगण जीयनपुर कस्बा थाना जीयनपुर आजमगढ़ के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं 0154/2024 धारा 2(ख)(1)/(3)1 (उ0प्र 0गिरोहबन्द एंव समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम1986 पंजीकृत किया गया और अग्रिम विवेचना थानाध्यक्ष रानी की सराय उ0नि0 श्री प्रदीप कुमार मिश्रा द्वारा की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण-

आज दिनांक 11.07.2024 को प्र0नि0 श्री सुदेश कुमार सिंह थाना कन्धरापुर मय हमराह द्वारा उपरोक्त गैंग्स्टर एक्ट के मुकदमे से सम्बन्धित अभियुक्त टेनी उर्फ सरताज पुत्र गुड्डू उर्फ आबिद निवासी ग्राम कस्बा जीयनपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 34 वर्ष को सेहदा पुर्वाचल एक्स प्रेसवे कट से समय करीब 09.20 बजे गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0सं0 154/24 धारा 2(ख)(1)/3(1) यूपी गैंग्स्टर एक्ट थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1-टेनी उर्फ सरताज पुत्र गुड्डू उर्फ आबिद निवासी ग्राम कस्बा जीयनपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 34 वर्ष

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं410 0/2020 धारा 41/411भादवि0 थाना जीयनपुर आजमगढ़
2. मु0अ0सं411 0/2020 धारा 4/ 25आर्म्स एक्ट थाना जीयनपुर आजमगढ़
3. मु0अ0सं264 0/2023 धारा 379/ 411भादवि थाना जीयनपुर आजमगढ़
4. मु0अ0सं659 0/ 2023धारा 3/ 25आर्म्स एक्ट थाना जीयनपुर आजमगढ़
5. मु0अ0सं101 0/2023 धारा 379/411/420/467/468/ 471भादवि0 थाना कन्धरापुर आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- प्र0नि0 श्री सुदेश कुमार सिंह मय हमराह हे0का0 भानू प्रताप यादव, का0 अरुण पाण्डेय, का0 धीरेन्द्र पासवान व म0आ0 अंशिका सिंह थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़

थाना- जहानागंज

शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 09.07.2024 को वादिनी द्वारा प्रार्थनापत्र दिया गया कि विवेक यादव पुत्र विन्ध्याचल यादव ग्राम धनहुआ पोस्ट मंदे थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ द्वारा एक वर्ष से शादी का झांसा देकर वादिनी मुकदमा के साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाया गया और अब शादी करने से इन्कार कर दिया गया, जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु.अ.स. 359/24 धारा 376 भादवि पंजीकृत कर विवेचना निरीक्षक अपराध सुरेन्द्र कुमार दूबे द्वारा सम्पादित की जा रही है।

आज दिनांक 11.07.2024 को निरीक्षक अपराध मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभि० विवेक यादव पुत्र विन्ध्याचल यादव ग्राम धनहुआ थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ धनहुआ स्थित एसकेडी स्कूल के पास खड़ा है कही जाने की फिराक है इस सूचना पर तत्काल धनहुआ स्थित एसकेडी स्कूल के पास पहुँच कर अभियुक्त विवेक यादव पुत्र विन्ध्याचल यादव ग्राम धनहुआ थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ को समय करीब 09.50 बजे गिरफ्तार किया गया बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त को मा० न्यायालय भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त:-

विवेक यादव पुत्र विन्ध्याचल यादव ग्राम धनहुआ थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ उम्र 25 वर्ष

पंजीकृत अभियोग/आपराधिक इतिहास

मु.अ.स. 359/24 धारा 376 भादवि थाना जहानागंज आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

निरीक्षक अपराध सुरेन्द्र कुमार दूबे थाना जहानागंज आजमगढ़

हे.का. गोविन्द सिंह थाना जहानागंज आजमगढ़

थाना- जहानागंज

गैंगेस्टर का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

थाना जहानागंज पर पंजीकृत मु.अ.स. 361/24 धारा 2(ख)(1)/3(1) उ०प्र० गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 के वांछित अभियुक्त जितेन्द्र प्रसाद यादव उर्फ पक्का यादव पुत्र केदारप्रसाद यादव निवासी चिरैयाकोट थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ को मुखविर की सूचना पर मन्दे बजार से समय करीब 09.50 बजे गिरफ्तार किया गया बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त को मा० न्यायालय रवाना किया गया।

नाम पता अभियुक्त:-

जितेन्द्र प्रसाद यादव उर्फ पक्का यादव पुत्र केदारप्रसाद यादव निवासी चिरैयाकोट थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ

आपराधिक इतिहास

1-मु.अ.स. 361/24 धारा 2(ख)(1)/3(1) उ०प्र० गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम थाना जहानागंज आजमगढ़

2-मु.अ.स. 437/23 धारा 386/506 भादवि थाना जहानागंज आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

प्रभारी निरीक्षक कृष्ण कुमार गुप्ता थाना जहानागंज आजमगढ़

का. विनोद यादव थाना जहानागंज आजमगढ़

का. शुभम सिंह थाना जहानागंज आजमगढ़